

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
(वित्त एवं व्यय)

वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 04/2017

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, पेंशन और पेंशन प्राप्तकर्ता कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 03/03/2016-पी एण्ड पी डब्ल्यू (एफ) (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारी को अंतिम सामान्य भविष्य निधि के समयानुसार भुगतान संबंधी स्पष्टीकरण दि.वि.प्रा. में भी समान रूप से लागू होगा।

इसे दि.वि.प्रा. के उपाध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

(कल्पना मोंगिया)  
वरि. लेखा अधिकारी  
(वित्त एवं व्यय)

सं. एफ ई 5(35)/2016/7वीं सीपीसी/डीडीए/146

दिनांक : 24/03/2017

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के विशेष कार्याधिकारी को उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ,
2. वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य के निजी सचिव को वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य के सूचनार्थ,
3. सभी प्रधान आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी/मुख्य विधि सलाहकार/मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा.,
4. आयुक्त (कार्मिक)/आयुक्त एवं सचिव,
5. सभी मुख्य अभियंता/मुख्य वास्तुकार, दि.वि.प्रा.,
6. वित्त सलाहकार (आवास)/निदेशक (वित्त)/चिकित्सा एवं पेंशन/लेखा परीक्षा,
7. उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्या.)-I, II एवं III/सभी क्षेत्रीय उप केन्द्रीय लेखा अधिकारी,
8. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (पेंशन)-समन्वय,
9. गार्ड फाइल।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी  
(वित्त एवं व्यय)